न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—196 / 2017 / 223 (2017 / 00196)

1. पांचू पुत्र गैना,
2. केसा पुत्र गैना,

जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. घीसा पुत्र गैना,
2. श्रीमती मूमी पत्नि गैना,
3. श्रीमती राधा पुत्री गैना,
4. श्रीमती बदामी पुत्री गैना,
5. श्रीमती धापू पुत्री गैना,
6. श्रीमती शांति पुत्री गैना,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भूपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

7. श्रीमती कमला पुत्री गेना पत्नि मिश्री (फौत) जरिये वारिसानः—

7 / 1— मिश्री पति श्रीमती कमला,
7 / 2— बीरम पुत्र मिश्री,
7 / 3— शैतान पुत्र मिश्री,
7 / 4— श्रीमती सुगना पुत्री मिश्री,
समस्त जाति रावत, निवासी रतनपुरा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

8. झमकू पुत्री गैना पत्नि बाबूसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—

8 / 1— महेन्द्र पुत्र बाबूसिंह,
8 / 2— भैरू पुत्र बाबूसिंह,
8 / 3— जगदीश पुत्र बाबूसिंह,
8 / 4— श्रीमती सुगना पुत्री बाबूसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम भोमाजी का थान मेडिया, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 17.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 144 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सूरजसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 में वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम शम्भूपुरा, पटवार क्षैत्र ब्यावर खास, तह0 ब्यावर के खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा बिस्वा किस्म बा—2 स्थित है । उक्त विवादित भूमि एवं अन्य कृषि भूमियां खसरा नंबर 1237, 1272 व 1274 वादीगण को न्यायालय सब डिविजनल ऑफिसर ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 86/1995 अजनाम घीसासिंह वगै0 बनाम पांचू व अन्य में पारित बंटवारा दिनांक 2.4.1996 के अनुसार बतौर खातेदारी प्राप्त हुई है । तथा शेष ख्शसरा नंबर 1297, 1300, 1303, 1314, 1347, 1430, 1331 व 1332 की भूमियां प्रतिवादी व उनकी माता श्रीमती रतनी के हिस्से में आये उक्त डिक्री के आधार पर नामांतकरण संख्या 529 दिनांक 20.7.1996 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 ममें लाल स्याही से अंकन होकर मौके पर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण का करवा दिया था । प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई तथा वादीगण के विवादित भूमि पर बोई हुई बाजरी की फसल में प्रतिवादीगण ने जबरन मवेशी छोड़कर नुकसान कारित कर रहे है । जिसका विरोध वादीगण ने किया तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम इस खेत पर कब्जा करके रहेगें । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं करे तथा विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे व उपभोग में कोई दखदांजी नहीं करे तथा विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के बावजूद न तो तनकीयात कायम की गई एवं न ही किसी पक्षक की साक्ष्य ग्रहण की गई एवं कैम्प कोर्ट ब्यावर खास में वाद पत्र डिक्री कर दिया गया एवं व्यवहार प्रकिया संहिता 14, 18 व 20 के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जारी की है जो प्रथमदृष्टया अपूर्ण व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा न तो तनकीयात कायम की गई न ही वादीगण अथवा प्रतिवादीगण की साक्ष्य ग्रहण की गई जिसके अभाव में स्वंय वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात कतई प्रदर्श नहीं हुए । ऐसे अप्रदर्शित दस्तावेज को आधार मानकर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया गया जबकि अप्रदर्शित दस्तावेजात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थे न ही उनके आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की जा सकती थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि

श्रीमती धापू पुत्री गैना द्वारा दिनांक 12.8.2015 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे निर्णित किये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आराजी साबिक खसरा नंबर 817 जिसके नये खसरा नंबर 1331 व 1332 के खातेदार मदन व उम्मेद पुत्रान जवरीलाल भण्डारी थे जिनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती रतनी पत्नि गैना को विक्रय किया गया था । उक्त आराजियात श्रीमती रतनी द्वारा अपने स्त्रीधन से क्रय की गई थी जो उसकी व्यक्तिगत एवं निजी सम्पति थी जिससे हाफ ब्लड के बजाय फुल ब्लड को प्रफरेंस के आधार पर श्रीमती रतनी द्वारा उत्पन्न वारिसान को ही स्वत्व निहित होते है लेकिन उक्त खसरा नंबरान को गलत रूप से प्रतिवादीगण के हिस्से में रखा जाना अंकित किया है जबकि इनके अतिरिक्त शेष आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाना चाहिये था और वह भी बाहमी बंअवार अनुसार काबिज काश्त अनुसार बंटवारा आज्ञाप्ति जारी की जानी चाहिये थी लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअदांज कर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 को गैर कानूनी एवं अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण कभी भी काबिज नहीं रहे तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नंबर 1411 प्रतिवादीगण/अपीलांटस को प्राप्त हुआ है तत्समय से आज दिनांक प्रतिवादीगण तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे डिक्री दिनांक 2.4.1996 की इजराय करवा कर खसरा नंबर 1411 पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 काबिज हुए हो । बिना कब्जे के वादीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति जारी नही की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि गैना के शेष वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । गैना के वादी संख्या 2 से उत्पन्न दो लड़किया राधा व बदामी जीवित है एवं धापू व शांति जो द्वितीय पत्नि श्रीमती रतनी से हुई है तथा कमला व झमकू की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान जीवित है किन्तु वादीगण/रेस्पो0 ने इनमें से किसी को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में इन सभी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था क्योंकि गैना से विरासत से प्राप्त आराजियात में पत्नि एवं पुत्रियों को भी पुत्रों के साथ गैना के स्वर्गवास के साथ ही बराबर हक, अधिकार व स्वत्व तथा हिस्सा प्राप्त हो चुका है । ऐसे अपूर्ण वाद को अधी0न्याया0 ने डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1996 पेज 381, 79, आर0आर0डी0 1999 पेज 183, आर0आर0डी0 1995 पेज 113, आर0आर0टी0 2018 पार्ट 2 पेज 1310 सुप्रीमकोर्ट एवं 796, आर0बी0जे0 2019 पेज 486 एवं आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 29 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 17.5.2016 को पांचू की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट ब्यावर खास में पत्रावली ले जाकर बिना तनकियात कायम किए एवं बिना साक्ष्य ग्राहण किए अत्यन्त सूक्ष्म आदेश के तहत वाद पत्र डिक्री किया है जिस पर दिनांक 27.5.2016 को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने एवं मौके की वास्तविक स्थिति तलब कर बाद सुनवाई अग्रिम कार्यवाही

करने हेतु निवेदन किया था । उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 7.7.2017 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भूमि खसरा नंबर 1411 पर पांचू एव कसो पुत्रान गैना काबिज होना अंकित किया गया जिसकी नकल हेतु दिनांक 13.7.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 17.7.2017 को नकल प्राप्त हुई लेकिन उक्त मौका रिपोर्ट तलब होने पर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रूप से आदेश पारित किया जिससे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 1.7.2016 को प्राप्त नकले अभिभाषक से प्राप्त की एवं पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना प8त्र, सजरा एवं दिनांक 17.7.2017 को प्राप्त मौका पर्चा लेकर अभिभाषक से संपर्क किया जिन्होंने हाजा न्याया0 के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया लेकिन दिनांक 26.7.2017 को अप्रार्थीगण मौके पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा हुए लेकिन सफल नहीं हो पाये तब अभिभाषक के पास ब्यावर जाकर संपर्क किया जिन्होंने दस्तावेजात प्रार्थीगण को देकर अजमेर जाकर अपील करने की सलाह दी । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अजमेर आकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में कथन किया कि ग्राम शम्भूपुरा तह0 ब्यावर के खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं अन्य कृषि भूमियां खसरा नंबर 1237, 1272, 1274 वादीगण/रेस्पो0 को न्यायालय श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 86/1995 अजनाम श्री घीसाहि वगै0 बनाम पांचू सिंह व अन्य में पारित बंटवारा डिक्री दिनांक 2.4.1996 के अनुसार बतौर खातेदारी प्राप्त हुई थी । शेष खसरा नंबर 1297, 1300, 1303, 1314, 1347, 1430, 1331 व 1332 की भूमि प्रतिवादी वउनकी माता श्रीमती रतनी के हिस्से में आई । उक्त डिक्री के आधार पर नामांतकरण संख्या 529 दिनांक 20.7.1996 को ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में लाल स्याही से अंकन होकर मौके पर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण को करवा दिया गया था तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई हक व अधिकार नहीं है इसीलिये अपीलांटस को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1331 व 1332 रतनी की क्रयशुदा खातेदारी की भूमि रही है एवं शेष वादग्रस्त आराजियात ज्ञाना पुत्र कानसिंह की खातेदारी की भूमि थी जो पक्षकारान को विरासत में प्राप्त हुई है एवं अपीलांट का 1/10, 1/10 हिस्सा निहित है । वाद संख्या 86/95 में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 व श्रीमती

रतनी के साथ दुर्भिसंधी कर गलत राजीनामे के आधार पर दिनांक 2.4.1996 को बिना पुत्रियों को पक्षकार बनाये एवं बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये वाद राजीनामे के आधार पर निर्णित करवा लिया गया जबकि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1411 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपीलांटस को प्राप्त हुई है । अधी0न्याया0 द्वारा अविधिक निर्णय व डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1411 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ग्राम शम्भूपुरा, तह0 ब्यावर पूर्व वाद संख्या 86/95 श्री घीसा व अन्य बनाम पांचू व अन्य में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से दिनांक 2.4.1996 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है । उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार खसरा नंबर 1411 वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये एवं जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक वादीगण के कब्जे काश्त में दखल व व्यवधान करने के कारण अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण घीसा व श्रीमती मूमी के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण पांचू व केसा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व निर्णय व डिक्री 86/1995 दिनांक 2.4.1996 का अवलोकन कर एवं जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 का अवलोकन कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अपीलांटस/प्रतिवादीगण का कथन कि अपीलाधीन भूमि बाहमी बंटवारे में उनको प्राप्त हुई है परन्तु इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य है कि पूर्व पारित राजीनामा डिक्री दिनांक 2.4.1996 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई हो । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर